

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी श्री श्री यशार्थ शेखर (आई.ए.एस.) अंतिम डिक्री

अनवान

बनाम

प्रतिवादीगण

वादीगण
1. गेनाराम पुत्र धुडाराम 2 चुनाराम पुत्र कुम्भाराम 3 जमना पत्नी कुम्भाराम 4 लुणाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर।

1 रामाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर 2 शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुड़ला 3 तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।

दावा बाबत 53 व 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 71/2022

निर्णय दिनांक :- 23/12/25

वकील वादी व वकील प्रतिवादी संख्या.....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 23/12/25 को श्री यशार्थ शेखर, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री निम्न प्रकार दी जाती है कि:-

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद पत्र एवं तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर मौजा बेरीवाला गांव पटवार हल्का कुड़ला तहसील बाडमेर ग्रामीण जिला बाडमेर के खसरा संख्या 54 रकबा 0.0324 हैक्टयर खसरा संख्या 718/51 रकबा 4.0064 हैक्टयर, खसरा संख्या 741/55 रकबा 0.3237 हैक्टयर खसरा संख्या 742/55 रकबा 5.1800 हैक्टयर खसरा संख्या 743/55 रकबा 19.1011 हैक्टयर कुल रकबा 28.6436 हैक्टयर भूमि का खातेदारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान	बंरग
1	गेनाराम पुत्र धुडाराम हिस्सा सम्पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा कुड़ला	741/55	0.3237	बा.दो.	0.12	गुलाबी
		743/55	9.2242	बा.दो.	3.41	
	योग :-	2	9.5479	-	3.53	-
2	चूनाराम पुत्र कुम्भाराम हिस्सा 1/2 जमना पत्नी कुम्भाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार	54	0.0324	गै.मु. ढाणी	-	हरा
		743/55	4.7415	बा.दो.	1.75	
	योग :-	2	4.7739	-	1.75	-
3	रामाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार लूणाराम पुत्र रूपाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा कुड़ला पेमी पत्नी रूपाराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार	718/51	4.0064	बा.दो.	1.48	बैंगनी
		742/55	5.1800	बा.दो.	1.92	
		743/55	5.1354	बा.दो.	1.91	
	योग :-	3	14.3218	-	5.31	-

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार राजस्व अभिलेख अमल दरामद करावें। नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह अंतिम डिक्री आज तारीख 23.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(यशार्थ शेखर)
पीठारसीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय			